छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्षः 2022-23

नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

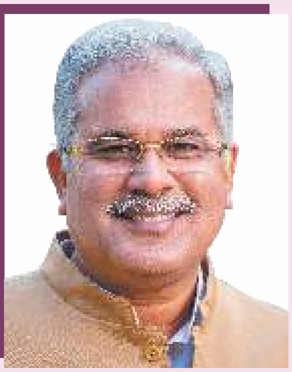

मान. श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

मान. श्री अमरजीत भगत
मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

मान. श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा
अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा,
छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
छत्तीसगढ़

वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2022-23

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
छत्तीसगढ़

वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2022-23

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

अनुक्रमणिका

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का उद्देश्य	1
2	राज्य खाद्य आयोग की संरचना एवं गठन	
3	आयोग में कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्यों की जानकारी, आयोग का कार्यालय, कार्यकाल एवं कार्य दिवस	2–4
4	राज्य खाद्य आयोग के कार्य एवं प्रमुख अधिनियम/नियम	4–5
5	खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित प्रमुख योजना	5–17
6	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट एवं शिकायत निवारण	18–20
7	जिला स्तरीय समीक्षा बैठक	21–26
8	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का बजट	27

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का उद्देश्य

जनसामान्य को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु भारत शासन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 7 में अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन एवं प्रावधानित सभी पात्रताओं का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करने की निगरानी एवं समीक्षा तथा राज्य में पीडीएस की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का गठन मार्च 2017 में किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष सहित 5 अन्य सदस्य के पद स्वीकृत है। आयोग का मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में है।

राज्य खाद्य आयोग का संरचना एवं गठन

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के संचालन हेतु राज्य शासन द्वारा 32 पद स्वीकृत किए गए है।

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की संरचना

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के लिए स्वीकृत सेट–अप का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद
1	अध्यक्ष	1
2	सदस्य	5
3	सदस्य सचिव	1
4	तृतीय श्रेणी पद	12
5	चुतर्थ श्रेणी पद	13
योग		**32**

आयोग में कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्यों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम	पदनाम	पता
1	श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा	अध्यक्ष	बाबरा मोटर्स, नमनाकला रिंग रोड, अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ. ग.)पिन – 497001
2	श्री हरीश परसाई	सदस्य	A–96 नेहरू नगर बुधवारी बाजार के पास कोरबा, जिला–कोरबा छ.ग.
3	श्री राजेन्द्र महिलांग	सदस्य	गणेश चौक कृष्णा नगर वार्ड क्रमांक 08 सतनाम भवन के पास सुपेला, जिला दुर्ग छ.ग.
4	श्री विमल सुराना	सदस्य	वार्ड क्रमांक 04 महावीर नगर, ओसवाल भवन के सामने मुख्य पोस्ट गीदम जिला– दंतेवाड़ा
5	श्री कुलदीप शर्मा	सदस्य	ग्रीन अर्थ सिटी जेस्मीन ब्लाक–01 405, अमलेश्वर जिला–दुर्ग छ.ग.
6	श्रीमती ज्योति कश्यप	सदस्य	ग्राम–खैरताल पोस्ट–कटौद तहसील नवागढ़ जिला–जांजगीर चांपा छ.ग.
7	श्रीमती दयामणि मिंज सदस्य सचिव	सदस्य सचिव	एम–4 जीवन विहार तेलीबॉधा रायपुर छ.ग.।

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2016 की धारा 16 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ.ग. वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 की कंडिका 8 (क) में किये गए प्रावधानों के अनुपालन में राज्य शासन एतद् द्वारा अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 2017 के अनुसार अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें से पूर्व में नियुक्त मान. अध्यक्ष दिनांक 28.03.2019 को पद से त्याग पत्र दे दिया गया तथा एक सदस्य की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने के कारण दिनांक 05.04.2018 को कार्यकाल समाप्त हो गया एवं चार सदस्यों का 31 मार्च, 2022 को 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के कारण पद रिक्त हो गये थे।

छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर का आदेश क्रमांक एफ 1–22/2016/29–2 द्वारा माननीय श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा, द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2020, को पदभार ग्रहण किया गया।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर, 2022 के अनुपालन मे राज्य खाद्य आयोग में 05 सदस्यों की नियुक्ति किया गया है, दिनांक 08.12.2022 को कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग में माननीय अध्यक्ष श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा के समक्ष 5 नवनियुक्त सदस्य श्री हरीश परसाई, श्री राजेन्द्र महिलांग, श्री विमल सुराना, श्री कुलदीप शर्मा, श्रीमती ज्योति कश्यप का स्वागत एवं पदभार ग्रहण कराया गया।

आयोग का कार्यकाल एवं कार्य दिवस

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का कार्यालय अटल नगर नवा रायपुर, सेक्टर 17 स्थित डी 02–9/10 में संचालित है। आयोग का कार्य दिवस, राज्य सरकार के कार्य दिवस अनुसार है।

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के कार्य

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का मुख्य कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा करना है। उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त राज्य खाद्य आयोग के निम्नलिखित कार्य है :–

1. राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अनुसूची–एक में उल्लेखित पात्रता के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं मूल्यांकन करना।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लंघनों की स्वप्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर जॉच करना।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना।
4. हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम में विनिर्दिष्ट पात्रताओं तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिए समर्थ

बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंर्तवलित अभिकरणों, स्वायत निकायों और गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना।

5. जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्व अपीलों की सुनवाई करना।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रताओं के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न अधिनियम, नियम एवं नियंत्रण आदेश की जानकारी निम्नानुसार है :-

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013**

  इस अधिनियम के भाग 2 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों की पात्रता तथा राज्य खाद्य आयोग के गठन एवं शिकायतों के निवारण तंत्र संबंधी आवश्यक प्रावधान किया गया है।

- **छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012**

  इस अधिनियम के भाग 2 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना, छात्रावास/आश्रम के हितग्रहियों की पात्रताओं तथा शिकायतों के निवारण तंत्र संबंधी आवश्यक प्रावधान किया है।

- **छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम 2016**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की पात्रताओं के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों की निगरानी तथा समयबद्ध निराकरण हेतु शिकायत निवारण व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत जिला शिकायत निवारण अधिकारी के प्रावधान के साथ–साथ राज्य खाद्य आयोग के गठन का भी प्रावधान है।

- **छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2016**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 40 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा और पोषण अधिनियम 2012 की धारा 30 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशनकार्ड हेतु हितग्राहियों के पात्रता के मापदंड तथा राशन कार्ड जारी किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

- **खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम, 2016**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 एवं 39 के अंतर्गत अधिनियम के भाग 2 में उल्लेखित पात्रताओं के उल्लंघन की स्थिति में हितग्राहियों को दिए जाने वाले खाद्य सुरक्षा भत्ता तथा इसकी प्रक्रिया का प्रावधान इस नियम के अंतर्गत किया गया है।

- **छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पारदर्शिता एवं जवाबदेही) नियम 2017**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियाकलापों में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा निगरानी व्यवस्था एवं सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए है।

- **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015**

  सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आबंटन हेतु राशनकार्ड के निर्माण, उचित मूल्य दुकान के आबंटन, नियमित रूप से राशन सामग्री के प्रदाय, वितरण एवं इसकी निगरानी की व्यवस्था संबंधी प्रावधान इस आदेश के अंतर्गत किए गए है।

- **छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016**

  भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधान के अनुरूप राज्य शासन द्वारा उचित मूल्य दुकान आबंटन की प्रक्रिया, राशन सामग्री के आबंटन उठाव एवं वितरण की प्रक्रिया, उचित मूल्य दुकानों की जॉच, निगरानी समितियों के गठन, अभिलेखों के सामाजिक अंकेक्षण आदि प्रावधान किए गए है।

- **मध्यान्ह भोजन नियम, 2015**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 39 के अंतर्गत जारी मध्यान्ह भोजन योजना नियम 2015 के अंतर्गत प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूलों में प्रदाय किए जाने वाले मध्यान्ह भोजन के पात्रता के मापदंड, भोजन की गुणवत्ता, निगरानी व्यवस्था आदि के प्रावधान किए गए है।

- **पूरक पोषण (समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत) नियम, 2017**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत जारी इस नियम के अंतर्गत 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों तथा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के लिए पूरक पोषण आहार की पात्रता, इसके मानक, पूरक पोषण आहार तैयार करने की प्रक्रिया तथा इसकी निगरानी व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गये हैं।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सिद्धान्त, भारत सरकार, 2017**

  इस मार्गदर्शी सिद्धांत के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्षित हितग्राही की जानकारी, योजना के अंतर्गत प्रदाय किए जाने वाले लाभ, आवेदन की प्रक्रिया तथा क्लेम के भुगतान की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किए गए है।

1. सार्वभौम पीडीएस(Universal PDS)—

राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु 02 अक्टूबर 2019 से सार्वभौम पीडीएस प्रारंभ किया गया है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत प्राथमिकता राशनकार्डो के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ साथ सामान्य परिवारों के लिए भी खाद्यान्न की पात्रता तय की गई है। प्राथमिकता राशनकार्डो की

खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि कर 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 से 5 सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए 7 किलो प्रति सदस्य, प्रतिमाह चावल 1 रुपए प्रति किलो निर्धारित की गई है। माह अगस्त 2019 से प्राथमिकता परिवारों को बढ़ी हुई पात्रता के अनुसार खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है।

सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवारों (आयकरदाता एवं गैर आयकरदाता) को भी खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। सामान्य राशनकार्डों में खाद्यान्न की पात्रता–1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 या 03 से अधिक सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो खाद्यान्न, 10 रूपये प्रतिकिलो प्रतिमाह निर्धारित की गई है। 19 अप्रैल 2023 की स्थिति में 8.94 लाख सामान्य राशनकार्ड जारी किया गया है तथा सामान्य राशनकार्डधारी परिवारों को पात्रता अनुसार खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है।

राशनकार्डधारियों के लिए राशन सामग्री की निम्नानुसार पात्रता एवं दर निर्धारित की गई है -

क्र.	योजना का नाम	योजनावार राशनकार्डो में खाद्यान्न की नियमित पात्रता एवं दर				
		खाद्यान्न	शक्कर	रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक	केरोसिन	चना
1	01 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	10 किलो, 1 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	प्रति राशनकार्ड 1 किलोग्राम 17.00 रू. प्रतिकिलो की दर से	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किग्रा प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार निःशुल्क	नगरीय क्षेत्र में अधिकतम – 02 लीटर ग्रामीण क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम – 2 लीटर तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 3 लीटर न्यूनतम 77 रू. एवं अधिकतम 86 रू. प्रति लीटर की दर से प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह	अनुसूचित विकासखण्ड एवं माडा क्षेत्र के हितग्राहियों को प्रतिमाह 02 किलो 5 रू. प्रतिकिलो की दर से
	02 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	20 किलो 01 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह				
	03 से 05 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	35 किलो 01 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह				
	05 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	07 किलो प्रति सदस्य 01 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह				
2	अन्त्योदय राशनकार्ड	35 किलो, 1 रूपए प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड				

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.</th><th rowspan="2">योजना का नाम</th><th colspan="5">योजनावार राशनकार्डों में खाद्यान्न की नियमित पात्रता एवं दर</th></tr>
<tr><th>खाद्यान्न</th><th>शक्कर</th><th>रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक</th><th>केरोसिन</th><th>चना</th></tr>
<tr><td>3.</td><td>एकल निराश्रित राशनकार्ड</td><td>10 किलो निःशुल्क प्रतिमाह, प्रति राशनकार्ड</td><td rowspan="5">निरंक</td><td rowspan="5">निरंक</td><td rowspan="5">निरंक</td><td rowspan="5">निरंक</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>निःशक्तजन राशनकार्ड</td><td>10 किलो निःशुल्क प्रतिमाह, प्रति राशनकार्ड</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td>01 सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड</td><td>10 किलो, 10 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह</td></tr>
<tr><td>02 सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड</td><td>20 किलो 10 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह</td></tr>
<tr><td>03 या अधिक सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड</td><td>35 किलो 10 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह</td></tr>
</table>

टीप –

1. राज्य शासन के निर्णय अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक समस्त अन्त्योदय तथा प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डधारियों को निःशुल्क चावल का वितरण किया जावेगा।
2. चने की पात्रता, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों तथा माडा क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त अन्त्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारी परिवारों को है।
3. उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रति कार्ड 1 किलो शक्कर की पात्रता है।
4. अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारवाले राशनकार्डधारियों को केरोसिन की पात्रता है।
5. बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 2 किलो गुड़ 17 रूपये प्रति किलो की दर पर प्रदाय किया जा रहा है।

विभिन्न हितग्राही समूहों की पात्रताएं

इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न हितग्राही समूहों हेतु निम्नलिखित प्रावधान है –

1. गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषण आहार ।
2. छः माह से छः वर्ष के आयु समूह के बच्चों को स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषण आहार ।
3. 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों को सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों, स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में आठवीं कक्षा तक के बच्चों को शाला दिवस में निःशुल्क मध्यान्ह भोजन ।
4. आश्रम / छात्रावासों में निवासरत छात्र / छात्राओं हेतु रियायती दर पर खाद्यान्न ।
5. कुपोषित बच्चों की पहचान व उन्हें निःशुल्क उचित पोषक आहार ।
6. आपातकालीन अथवा प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थितियों में प्रभावित व्यक्तियों हेतु छः माह तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था ।

2. रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक वितरण योजना-

इस योजना में राज्य के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 02 किलो एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 1 किलो रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक प्रति कार्ड वितरित किये जाने का प्रावधान है। रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक वितरण में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसका भुगतान वितरण एजेंसी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 49.34 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2022 से मार्च, 2023 तक अमृत नमक के उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :-

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	उठाव
104327	97492

3. चना वितरण योजना-

जनवरी 2013 से राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों तथा 1 फरवरी 2019 से माडा क्षेत्र के समस्त अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 2 किलो चना 5 रूपए प्रति किलो के

मान से प्रदाय किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2022—23 में राशि रूपए 321 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में अप्रैल 2022 से मार्च, 2023 तक चना के उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :-

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	उठाव
65472	62350

4. मधुर गुड़ वितरण योजना-

बस्तर संभाग के जिलों में आयरन की कमी को दूर करने के लिए अंत्योदय, प्राथमिकता एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डधारियों को जनवरी 2020 से प्रतिमाह 2 किलो गुड़ 17 रूपए प्रति किलो की उपभोक्ता दर पर प्रदाय किया जा रहा है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में अप्रैल 2022 से मार्च, 2023 तक गुड़ के उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :-

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	उठाव
16914	13551

5. वन नेशन वन राशनकार्ड योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समन्वित प्रबंधन (IM-PDS)

भारत सरकार की वन नेशन वन राशनकार्ड योजना का उद्देश्य आधार प्रमाणीकरण के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को अन्य राज्य में प्रवास के दौरान उचित मूल्य दुकान के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना है। इस योजना के राज्य में क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है तथा आधार प्रमाणीकरण के जरिए राशन सामग्री के वितरण हेतु प्रदेश में संचालित सभी 13,451 उचित मूल्य दुकानों में ई—पॉस उपकरण स्थापित किया जा चुका है।

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डधारियों के राशन सामग्री वितरण की मानिटरिंग हेतु सेंट्रल डेटाबेस तैयार कर राशनकार्ड डेटा एवं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से हितग्राहियों को राशन सामग्री वितरण की मॉनिटरिंग हेतु उपरोक्त योजना 2018—19 से प्रारंभ

किया गया है। उपरोक्त मॉनिटरिंग हेतु राज्यों में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करने तथा अन्य कार्यवाही के लिए प्रथम किश्त में राशि 92.35 लाख रूपये, द्वितीय किश्त राशि 56.64 लाख रूपये, तृतीय किश्त राशि 17.19 कुल राशि 166.18 लाख रूपये का बजट भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। इसमें से संपूर्ण राशि 166.18 लाख रूपये का उपयोग किया गया है।

6. कॉल सेन्टर

राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। खाद्य विभाग द्वारा जनवरी, 2008 से संचालित किए जा रहे कॉल सेंटर का दूरभाष क्रमांक 1800–233–3663 एवं 1967 है और यह एक टोल फ्री (निःशुल्क) फोन लाईन है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कॉल सेंटर में अनेक उपभोक्ताओं द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जानकारी प्राप्त किए जाने के साथ–साथ 24.03.2023 तक कुल 35,034 शिकायतें दर्ज कराई गई है। प्राप्त शिकायतों में से 34,311 शिकायतें निराकृत की जा चुकी है ।

7. फोर्टिफाईड राईस वितरण योजना

यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें केन्द्रांश और राज्यांश राशि का अनुपात 75:25 है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना एवं पूरक पोषण आहार योजना के हितग्राहियों में एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषक तत्वों से युक्त (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन– बी 12) फोर्टिफाईड चावल के वितरण का शुभारंभ कोण्डागांव जिले में 01 नवंबर 2020 से किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य के 10 आकांक्षी जिलों (बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, कोरबा, राजनांदगांव एवं महासमुंद) तथा 05 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (रायगढ़, कवर्धा, सारंगढ़–बिलाईगढ़, खैरागढ़–छुईखदान–गंडई एवं मोहला–मानपुर–अंबागढ़चौकी) में इस योजना का विस्तार किया गया है। राज्य शासन द्वारा राज्य योजना के राशनकार्डों में स्वयं के व्यय पर फोर्टिफाईड चावल वितरण किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश के समस्त जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अन्त्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को फोर्टिफाईड चावल वितरण किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग

पूरक पोषण आहार योजना

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत पूरक पोषण आहार केन्द्र सहायित योजना 1975 से संचालित है।

- **उद्देश्य :-** गर्भवती महिलायें, शिशुवती महिलायें एवं 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना।

पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत निम्नानुसार दो प्रकार की सेवायें प्रदाय की जाती है :-

1. **टेकहोम राशन** के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र में हितग्राहियों को माह के प्रथम मंगलवार व तृतीय मंगलवार को रेडी टू ईट के पैकेट प्रदाय किया जाता है।

1.1 रेडी टू ईट 06 माह से 03 वर्ष के सामान्य, मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं एवं 03 वर्ष से 06 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को प्रदाय किया जाता है।

2. **नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन** आंगनवाड़ी केन्द्र में आने वाले 03 वर्ष से 06 वर्ष के सामान्य, मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है।

पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत रेडी टू ईट, नाश्ता, एवं गर्म पका हुआ भोजन एवं किशोरी बालिका योजना अंतर्गत दर्ज एवं लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	हितग्राही का विवरण		दर्ज हितग्राही	लाभान्वित हितग्राही
1	6 माह से 3 वर्ष के सामान्य एवं मध्यम कुपोषित बच्चे		1116119	1064687
2	6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे		27880	25578
3	3 से 6 वर्ष के सामान्य एवं मध्यम कुपोषित बच्चे		1057951	861755
4	3 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे		13723	12098
5	गर्भवती महिलाएं	गर्म भोजन से	235373	56370
		रेडी टू ईट से		223073
6	शिशुवती महिलाएं		233910	221046
7	14 से 18 वर्ष आयु की शाला जाने वाली एवं शाला त्यागी किशोरी बालिका (केवल आकांक्षी जिला हेतु)		184003	174201
	कुल योग		**2868959**	**2582438**

- **खाद्य विभाग के पोर्टल में वित्तीय वर्ष 2022-23 में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः जानकारी निरंक है।**

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना

महिलाओं को आज भी अल्पपोषण प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है। देश में हर तीसरी महिला अल्पपोषित है तथा हर दूसरी महिला रक्ताल्पता से पीड़ित है। अल्पपोषित माता अधिकांशतः कम वजन वाले शिशुओं को ही जन्म देती है, जब कुपोषण गर्भाशय में ही शुरू हो जाता है, तो यह पूरे जीवन–चक्र में चलता रहता है और ज्यादातर अपरिवर्तनीय होता है।

आर्थिक और सामाजिक तंगी के कारण कई महिलाएं गर्भावस्था के आखिरी दिनों तक अपने परिवार की जीविका अर्जित करना जारी रखती है, इसके अलावा अपने बच्चे को जन्म देने के बाद वक्त से पहले काम करना शुरू कर देती है, जबकि उनका शरीर इसके लिए तैयार नहीं होता है। इस प्रकार वे एक तरफ अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ होने से रोकती है और पहले छः माह में अपने नौनिहालों को अनन्य स्तनपान कराने की अपने सामर्थ्य में भी बाधा पहुंचाती है।

उपरोक्त परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में देश के सभी जिलों में दिनांक 01.01.2017 से यह योजना लागू की गई है, तथा प्रथम जीवित संतान हेतु योजना का लाभ देय है।

लक्षित लाभार्थी

ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजानिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में है या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही है, सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं पात्रता रखती हैं।

योजना अंतर्गत लाभ

योजना अंतर्गत गर्भवती धात्री महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिये तीन किश्तों में 5000/— रूपये राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

भारत सरकार द्वारा जारी मिशन शक्ति की मार्गदर्शिका अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2022—23 से योजना अंतर्गत महिलाओं को प्रथम संतान के जन्म पर दो किश्तों में रूपये 5,000/— एवं द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर एकमुश्त राशि रूपये 6,000/— रूपये देय होगी, जिसे लागू किया जा रहा है।

उपलब्धि :-

- प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ से मार्च 2023 तक की स्थिति में कुल 20,23,676 हितग्राहियों का आवेदन ऑनलाईन दर्ज किया गया है तथा परीक्षण उपरांत कुल 19,54,125 हितग्राहियों के आवेदन मान्य किए गये।
- योजना प्रारंभ से अब तक कुल 7,83,592 हितग्राहियों को लाभांवित करते हुए कुल राशि रू. 315.90 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

मध्यान्ह भोजन योजना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 (1) (ख) में सरकार द्वारा संचालित या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु के छात्र अथवा कक्षा आठवीं तक के बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत पोषण आहार मानक निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :—

वर्ग	भोजन का प्रकार	कैलोरी की मात्रा	प्रोटीन की मात्रा
प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 तक)	गर्म पका हुआ भोजन	450	12
उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8 तक)	गर्म पका हुआ भोजन	700	20

उपरोक्त भोजन विद्यालय के अवकाश के दिवस को छोड़कर शेष सभी दिवस निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्न भोजन), माह अप्रैल 2022 से माह मार्च 2023 तक राज्य कार्यालय के टोल फ्री नंबर पर कुल 24 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें से 17 शिकायतों का निराकरण कर लिया गया है तथा 07 शिकायत प्रक्रियाधीन है।

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के प्रमुख योजनाओं की समीक्षा बैठक की निर्देशित जानकारियाँ

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के भाग दो में पूरक पोषण आहार योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, मातृत्व लाभ योजना तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम/छात्रावास को प्रदाय बी.पी.एल. दर पर खाद्यान्न की पात्रताओं के क्रियान्वयन हेतु जिला शिकायत निवारण अधिकारी, खाद्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक दिनांक 11.07.2022 को जिला–कांकेर, दिनांक 08.09.2022 को जिला–कोरबा, दिनांक 15.09.2022 को जिला–सूरजपुर, 30.09.2022 को जिला–जगदलपुर बस्तर, 19.11.2022 को जिला–बैकुंठपुर एवं 19.01.2023 को जिला जांजगीर चांपा में की गयी उपरोक्त जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा एवं निर्देशित किया गया है।

1. जिला शिकायत अधिकारी को प्राप्त शिकायत के निराकरण की अद्यतन स्थिति तथा इनका समयबद्ध निराकरण हेतु प्रयास करना।
2. डी.जी.आर.ओ. पोर्टल, राज्य खाद्य आयोग में प्राप्त शिकायतों एवं कॉल–सेंटरों में प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण करने एवं निराकरण कर विभागीय पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिये गये।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सतत् निगरानी हेतु जिला स्तरीय, विकासखण्ड स्तरीय तथा उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति के गठन एवं उनकी नियमित बैठकों का आयोजन करना।
4. हितग्राहियों को निर्धारित गुणवत्तायुक्त राशन प्रतिमाह पात्रता अनुसार प्रदाय सुनिश्चित करना।
5. खाद्य विभाग के निःशुल्क टोल फ्री नंबर, डी.जी.आर.ओ एवं खाद्य आयोग को शिकायत करने की जानकारी प्रदर्शित करने तथा राशन दुकानों की साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जावें।
6. जिले में संचालित सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में समय–सीमा पर प्रतिमाह सही, गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न भंडारण करने एवं प्रत्येक राशन दुकानों में खाद्यान्न सामग्री का सीलबंद सैंपल उपलब्ध कराकर उचित मूल्य दुकानों में रखने के निर्देश दिये गये है।
7. कोई भी उचित मूल्य दुकान निजी भवन में संचालित न हो इसके लिए आस–पास के राशन कार्डधारियों की सुविधा एवं दूरी को ध्यान में रखते हुए पास के शासकीय भवन का चिन्हांकन कर तत्काल उचित मूल्य दुकानों का स्थानांतरण करने के निर्देश दिये गये है।
8. जिले में संचालित आश्रम/छात्रावास एवं शालाओं में वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये गये है।

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के भाग 2 में उल्लेखित योजनाओं के हितग्राहियों की पात्रताओं के क्रियान्वयन की सतत् निगरानी एवं मूल्यांकन करना आयोग का मुख्य कार्य है। आयोग के गठन के उद्देश्य तथा इसके क्रियाकलाप की जानकारी के प्रचार प्रसार के साथ–साथ महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित प्राप्त शिकायत के समय पर निराकरण एवं इन योजनाओं की सतत् निगरानी हेतु वेबसाइट का निर्माण किया गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 18 नवंबर, 2020 को किया गया। आयोग की वेबसाइट के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैः–

1. **आयोग की सामान्य जानकारी-** इसके अंतर्गत आयोग के गठन, माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य गणों की जानकारी तथा आयोग की शक्तियों एवं कार्य संबंधी जानकारी से आम लोगों को अवगत कराना।
2. **ऑनलाइन आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली-** सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, छात्रावास/आश्रम को प्रदाय बीपीएल दर पर पोषणाहार सहायता योजना के क्रियान्वयन की निगरानी तथा शिकायत निवारण हेतु निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैः–

- ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने हेतु सुविधा।
- सुझाव दर्ज कराने हेतु प्रावधान।
- शिकायत की स्थिति जानने हेतु व्यवस्था।
- नोडल अधिकारी द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी (**DGRO**) को शिकायत हस्तांतरित करना।
- आयोग द्वारा संबंधित विभाग को कार्यवाही हेतु शिकायत हस्तांतरित करना।
- संबंधित विभाग द्वारा शिकायत निवारण दर्ज करने हेतु पृथक लॉगिन की व्यवस्था करना।
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी के निर्णय के विरूद्व शिकायतकर्ता द्वारा आयोग में ऑनलाइन अपील दर्ज करने की सुविधा।

3. **शिकायत निवारण प्रणाली का प्रचार प्रसार-** आयोग की निगरानी के अधीन योजनाओं के तहत् हितग्राहियों को पात्रतानुसार नियमित रूप से निर्धारित गुणवत्ता की राशन सामग्री प्राप्त न होने की दशा में राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट **https://khadya.cg.nic.in/rationcards/cgsfc/index-2.aspx,** खाद्य विभाग के कॉल सेन्टर नंबर **1967, 1800–233–3663** अथवा खाद्य आयोग के टेलीफोन नंबर **0771–2972924** में सीधे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसका प्रचार–प्रसार इस वेबसाइट के जरिये किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में आयोग की वेबसाइट में प्राप्त एवं निराकृत शिकायतों की जानकारी				
क्रमांक	जिला	प्राप्त शिकायत	निराकृत शिकायते	लंबित शिकायत
1	बस्तर	1	1	0
2	बीजापुर	0	0	0
3	दन्तेवाड़ा	1	0	1
4	कांकेर	8	3	5
5	कोंडागांव	1	0	1
6	नारायणपुर	0	0	0
7	सुकमा	1	0	1
8	बिलासपुर	41	30	11
9	जांजगीर–चाम्पा	73	62	11
10	गौरेला–पेन्ड्रा–मरवाही	3	0	3
11	कोरबा	23	19	4
12	मुंगेली	74	74	0
13	रायगढ़	27	27	0
14	बालोद	5	0	5
15	बेमेतरा	21	20	1
16	दुर्ग	29	17	12
17	कवर्धा	53	52	1
18	राजनांदगांव	17	16	1
19	बलौदा बाजार–भाठापारा	26	24	2
20	धमतरी	7	7	0
21	गरियाबंद	15	13	2
22	महासमुंद	18	12	6
23	रायपुर	32	17	15
24	बलरामपुर	11	10	1
25	जशपुर	5	2	3
26	कोरिया	6	1	5
27	सरगुजा	15	4	11
28	सुरजपूर	11	11	0
29	सक्ती	**19**	**2**	**17**
30	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	**8**	**0**	**8**
31	सारंगढ़–बिलाईगढ	**7**	**4**	**3**
32	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	**3**	**0**	**3**
33	मोहला–मानपुर–अंबागढ़चौकी	**0**	**0**	**0**
		561	**428**	**133**

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को प्राप्त एवं निराकृत शिकायतों की जानकारी				
क्रमांक	**जिला**	**प्राप्त शिकायत**	**निराकृत शिकायते**	**लंबित शिकायत**
1	बस्तर	0	0	0
2	बीजापुर	4	4	0
3	दन्तेवाड़ा	0	0	0
4	कांकेर	5	3	2
5	कोंडागांव	0	0	0
6	नारायणपुर	0	0	0
7	सुकमा	0	0	0
8	बिलासपुर	100	97	3
9	जांजगीर–चाम्पा	76	67	3
10	गौरेला–पेन्ड्रा–मरवाही	7	6	1
11	कोरबा	26	25	1
12	मुंगेली	243	241	2
13	रायगढ़	36	36	0
14	बालोद	10	10	0
15	बेमेतरा	49	46	3
16	दुर्ग	29	25	4
17	कवर्धा	50	50	0
18	राजनांदगांव	20	20	0
19	बलौदा बाजार–भाठापारा	27	27	0
20	धमतरी	15	15	0
21	गरियाबंद	12	12	0
22	महासमुंद	16	8	8
23	रायपुर	56	44	12
24	बलरामपुर	28	25	3
25	जशपुर	4	1	3
26	कोरिया	7	5	2
27	सरगुजा	11	10	1
28	सुरजपूर	8	2	6
29	सक्ती	32	1	31
30	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	4	0	4
31	सारंगढ़–बिलाईगढ	16	16	0
32	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	3	2	1
33	मोहला–मानपुर–अंबागढ़चौकी	**0**	**0**	**0**
		894	**798**	**96**

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

निरीक्षित जिला :- कांकेर, समीक्षा बैठक दिनांक 11.07.2022।

अनुशंसा किसे प्रेषित की गयी :- कलेक्टर (खाद्य शाखा) कांकेर, पत्र क्रमांक 155, दिनांक 08.07.2022।

शास. उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण में पायी गयी कमी :- निरीक्षण के दौरान सहकारी विपणन एवं मर्या. शासकीय उचित मूल्य दुकान सिंगारमाट में खाद्यान्न सामग्री का ठीक से रख–रखाव नही होना, निर्धारित 10 रजिस्टर में से मात्र 07 रजिस्टर का संधारित होना, ट्रक चालान, डीओ पंजी, कैश पंजी, सुझाव पंजी एवं निगरानी समिति के बैठक का केवल एक माह का ही दर्ज होना पाया गया।

अनुशंसा पर कार्यवाही/पालन प्रतिवेदन की स्थिति :-शासकीय उचित मूल्य दुकान सिंगारमाट का यह कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 12 (1)14 (2) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत सरंगपाल आई.डी. क्रमांक 602001014 में संलग्न किया गया है।

जिला :- कोरबा,समीक्षा बैठक दिनांक 08.09.2022।

समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश :- आयोग की वेबसाइट एवं दूरभाष नम्बर, शिकायत दर्ज करने हेतु शासकीय उचित मूल्य की दीवार में लेखन कराना। उचित मूल्य दुकानों में स्टॉक पंजी वितरण पंजी एवं खाद्यान्न का रख रखाव, दुकान की साफ सफाई, दुकान सही समय पर खोलना तथा पूरक पोषण आहार, मध्यान्न भोजन योजना हेतु उपलब्ध खाद्यान्न का सही रखरखाव करना, भोजन बनाने के स्थान की सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया तथा समीक्षा बैठक में माननीय अध्यक्ष द्वारा खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिले के 194 शासकीय उचित मूल्य दुकान जो कि अन्य शासकीय भवनों में संचालित है वहॉं उचित मूल्य दुकान संचालित कराने हेतु विभागीय शासकीय नवीन भवन निर्माण कराने के निर्देश दिए गए है।

अनुशंसा किसे प्रेषित की गयी :- कलेक्टर (खाद्य शाखा) कोरबा, पत्र क्रमांक 246, दिनांक 05.09.2022।

निरीक्षित जिला :- कोरिया, बैकुंठपुर, समीक्षा बैठक दिनांक 16.11.2022।

समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश :- माननीय अध्यक्ष द्वारा सभी आगनबाड़ी केन्द्रों में खाद्य आयोग के कॉल सेंटर नंबर का दीवाल लेखन तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उपस्थिति एवं आने वाले बच्चों का मानक अनुरूप पोषण आहार प्रदाय करने के साथ कुपोषित बच्चों को एन.आर.सी. भेजने के निर्देश दिये गये है।

माननीय अध्यक्ष द्वारा मध्यान्न भोजन में छात्र–छात्रों को फोर्टिफाईड चावल एवं मीनू अनुरूप सब्जी, दाल, पापड़, आचार आदि मानक अनुरूप देने के लिए तथा आदिम जाति अनूसूचित विभाग द्वारा संचालित आश्रम/छात्रावास में अध्यनरत छात्र–छात्रों को निर्धारित मानक स्तर का गुणवत्ता युक्त भोजन प्रदाय करने के निर्देश दिये गये है।

अनुशंसा किसे प्रेषित की गयी :- कलेक्टर (खाद्य शाखा) कोरबा, पत्र क्रमांक 376, दिनांक 14.011.2022।

निरीक्षण में पायी गयी कमी :-निरीक्षण के दौरान जय मॉ लक्ष्मी स्व–सहायता समूह द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान आई.डी.क्रमांक 531003001 एवं महामाया महिला स्व–सहायता समूह द्वारा संचालित शा.उ.मू.दुकान आई.डी.क्रमांक 531003002 में भंडारित चावल के बोरे दीवाल से 06 इंच की दूरी पर न होना पाया गया। जिससे चावल की गुणवत्ता खराब हो सकती है।

निरीक्षित जिला :- सूरजपुर, समीक्षा बैठक दिनांक 15.09.2022।

अनुशंसा किसे प्रेषित की गयी :- कलेक्टर (खाद्य शाखा) सूरजपुर, पत्र क्रमांक 267, दिनांक 12.09.2022।

समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश :- आयोग के वेबसाइट एवं शिकायत करने हेतु दीवाल में लेखन कराना। उचित मूल्य दुकानों में स्टॉक पंजी, वितरण पंजी एवं खाद्यान्न के रख–रखाव, दुकान की साफ–सफाई, दुकान का सही समय पर खोलना तथा पूरक पोषण आहार, मध्यान्न भोजन योजना हेतु उपलब्ध खाद्यान्न का सही रख–रखाव, भोजन बनाने के स्थान की सफाई पर विशेष ध्यान देने तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर को छ.ग. राज्य भंडार गृह का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार खाद्य अधिकारी के साथ एस.डब्ल्यू.सी. की नमदगिरी गोदाम के निरीक्षण के दौरान सभी स्टेक के सैम्पल लिया गया तथा गुणवत्ता निरीक्षक से परीक्षण कराया गया जिसमें सभी सैम्पल मानक स्तर पर पाया गया। गोदाम परिसर में साफ–सफाई के लिए केन्द्र प्रभारी को निर्देशित किया गया एवं समय–समय पर किटोपचार करते रहने की हिदायत दी गई।

जिला :- जगदलपुर, बस्तर समीक्षा बैठक दिनांक 30.09.2022।

समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश :- आयोग के वेबसाइट में शिकायत दर्ज करने हेतु दीवाल में लेखन कराना। उचित मूल्य दुकानों में स्टॉक पंजी, वितरण पंजी एवं खाद्यान्न का रख–रखाव, दुकान की साफ–सफाई, दुकान सही समय पर खोलना तथा पूरक पोषण आहार, मध्यान्न भोजन योजना हेतु उपलब्ध खाद्यान्न का सही रख–रखाव करना तथा भोजन बनाने के स्थान की सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया गया।

अनुशंसा किसे प्रेषित की गयी :- कलेक्टर (खाद्य शाखा) जगदलपुर, बस्तर,पत्र क्रं.291, दिनांक 19.09.2022।

जिला :- जांजगीर-चांपा समीक्षा बैठक दिनांक 19.01.2023।

समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश :- आयोग के वेबसाइट में शिकायत दर्ज करने हेतु दीवाल में लेखन कराना। उचित मूल्य दुकानों में स्टॉक पंजी, वितरण पंजी एवं खाद्यान्न का सही रखरखाव, दुकान की साफ–सफाई, दुकान सही समय पर खोलना, पूरक पोषण आहार, मध्यान्न भोजन योजना हेतु उपलब्ध खाद्यान्न का सही रखरखाव कराना तथा भोजन बनाने के स्थान की सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया गया।

अनुशंसा किसे प्रेषित की गयी :- कलेक्टर (खाद्य शाखा) जांजगीर चांपा, पत्र क्रं. 506 17.01.2023 ।

खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा दिनांक 19.01.2023 को जिला - जांजगीर-चांपा के शासकीय उचित मूल्य दुकान, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मध्यान्न भोजन योजना का निरीक्षण करते हुए।

आयोग का बजट

वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग को प्राप्त योजनावार बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:-

(दिनांक 31.03.2023 की स्थिति में) (राशि- रूपये में)

क्र.	योजना क्रमांक/नाम	प्रावधानित राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1	#01- वेतन भत्ते, आदि 001 वेतन	700000	480000	68.57
2	003 महंगाई भत्ता	440000	128748	29.26
3	006 मकान किराया भत्ता	100000	14664	14.66
4	008 नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	50000	900	1.80
5	014 अन्य भत्ते	200000	90100	45.05
6	015 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	100000	0	0.00
7	016 मानदेय	1440000	789710	54.84
8	#04- कार्यालय व्यय,001 डाक तार पर व्यय	20000	19500	97.50
9	002 दूरभाष पर व्यय	100000	43270	43.27
10	003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	100000	0	0.00
11	004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	20000	13208	66.04
12	007 लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	100000	99820	99.82
13	009 सूचना प्रौद्योगिकी	200000	112868	56.43
14	011 पेट्रोल	10000	850	8.50
15	#02- मजदूरी004 अन्य आकस्मिक मजदूरी	200000	199712	99.86
16	005 अन्य आकस्मिक मजदूरी	1300000	1299792	99.98
17	#03- यात्रा भत्ता 001 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	500000	81843	16.37
18	#04- कार्यालय व्यय,005– बिजली एवं जल प्रभार	150000	65727	43.82
19	006– वर्दियां	10000	9855	98.55
20	008– अन्य आकस्मिक व्यय	200000	199347	99.67
21	013– किराया, महसूल, कर	1000000	961500	96.15
22	014– वाहन किराया भाड़ा	2200000	2012088	91.46
23	#24- अनुरक्षण कार्य 001 मोटर गाड़ी	10000	0	0.00
24	#14-सहायक अनुदान 012	0	0	0.00
	योग	**9150000**	**6623502**	**72.39**

माननीय अध्यक्ष द्वारा 15 अगस्त, 2022 को राज्य खाद्य आयोग कार्यालय में ध्वजारोहण

26 जनवरी, 2023 को कार्यालय राज्य खाद्य आयोग में ध्वजारोहण कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग

छत्तीसगढ़ महतारी

राज्य खाद्य आयोग कार्यालय

डी-2/9 एवं डी-2/10, सेक्टर 17, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

दूरभाष: 0771-2972923, Email: khadyaayog@gmail.com